<u>डिस्क्लेमर</u>

परामर्श पत्र संख्या 07/2025-26 के मुखपृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 3, 218, 219, 220 और 221 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (डीएक्सएन) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2026 -31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

IN THE MATTER OF DETERMINATION OF AERONAUTICAL TARIFF FOR NOIDA INTERNATIONAL AIRPORT (DXN) FOR THE FIRST CONTROL PERIOD (01ST APRIL 2026 TO 31ST MARCH 2031)

जारी करने की तारीख : 06 मार्च, 2026

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110 003

हितधारक की टिप्पणियां

ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी (जेडएआईए) ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (एनआईए) नामक नए ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए बोली हासिल की है। जेडएआईए ने 7 अक्टूबर 2020 को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) से रियायत करार (सीए) पर हस्ताक्षर किए, ताकि डीबीएफओटी (डिज़ाइन, बिल्ड, वित्त, प्रचालन और हस्तातंरण) मॉडल के अंतर्गत हवाईअड्डे का विकास किया जा सके। रियायत करार की अवधि नियत तारीख से 40 वर्ष है। इस अवधि को एक बोली प्रक्रिया के आधार पर 30 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, जिसमें रियायतग्राही को कुछ शर्तों के अंतर्गत सबसे ऊंची बोली के बराबर करने का अधिकार होगा।

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (एनआईए), जो उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थित एक ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डा है, को ऐरा (संशोधन) अधिनियम 2019 और 2021 के साथ पठित ऐरा अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार 'प्रमुख हवाईअड्डे' की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसे 3.5 एमपीपीए से अधिक की निर्धारित क्षमता के साथ प्रचालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि वाईआईएपीएल और उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी-नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) के बीच निष्पादित रियायत करार की अनुसूची ए' के संलग्नक-II में निर्धारित है।

विनियामक अपेक्षाओं का पालन करते हुए, वाईआईएपीएल ने शुरूआत में 22 फरवरी 2024 को प्रथम नियंत्रण अवधि (एफसीपी) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया, जिसकी शुरुआत की तारीख 1 दिसंबर 2024 थी। परंतु, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) में कुछ देरी होने के कारण, वाईआईएपीएल का 30 अप्रैल 2025 तक हवाईअड्डे को वाणिज्यिक प्रचालन के लिए खोलने का इरादा था। तदनुसार, वाईआईएपीएल ने 27 अक्टूबर 2024 को संशोधित एमवाईटीपी प्रस्तुत किया, जिसमें 30 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक की अवधि को प्रथम नियंत्रण अवधि के रूप में और वित्त वर्ष 2020-21 से 29 अप्रैल 2025 तक की अवधि को पूर्व की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) अवधि के रूप में मानते हुए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था।

इसके बाद, 2 जून 2025 की ईमेल के ज़रिए, वाईआईएपीएल ने प्राधिकरण को सूचित किया कि वह वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) 30 अप्रैल 2025 से बदलकर 15 सितंबर 2025 करने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, वाईआईएपीएल ने अपनी दिनांक 24 सितंबर 2025 की ईमेल में बताया कि संभावित सीओडी 1 दिसंबर 2025 होने की आशा है। परंतु, एयरोड्रोम लाइसेंस मिलने में हुई देरी के कारण, वाईआईएपीएल को अब आशा है कि वह वित्त वर्ष 2026 की चतुर्थ तिमाही तक सीओडी प्राप्त कर लेगा, जैसा कि उसने अपनी 3 फरवरी 2026 की ईमेल में बताया था। यह देखते हुए कि हवाईअड्डा पूरा होने के अंतिम चरण में है और एयरोड्रोम लाइसेंस जल्द ही मिलने की आशा है, प्राधिकरण सीओडी को 30 अप्रैल 2025 (जैसा कि वाईआईएपीएल ने प्रस्तुत किया था) से बदलकर 1 अप्रैल 2026 करने का प्रस्ताव करता है। सीओडी में इस बदलाव के साथ, जो अगले वित्त वर्ष में होगा, प्राधिकरण नियंत्रण अवधि को 1 अप्रैल 2026 से शुरू कर 31 मार्च 2031 तक समाप्त होने का प्रस्ताव करता है, ताकि ऐरा अधिनियम, 2008 (2019 और 2020 के बाद के संशोधनों के साथ पठित) की धारा 13(2) के अनुसार, पूरे पांच (5) वर्ष की नियंत्रण की अवधि को प्रभावी बनाया जा सके।

इस परामर्श पत्र के लिए, प्राधिकरण ने 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए वाईआईएपीएल द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित आंकड़ों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने वर्तमान में उपलब्ध सभी जानकारी को ध्यान में रखकर, अलग-अलग परिदृश्यों का विश्लेषण करने, हवाईअड्डा प्रचालक और प्रधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता /विमानन विशेषज्ञ के विचारों को ध्यान में रखने के बाद, प्रस्तुत किए गए संशोधित बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव के यातायात और अन्य विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजन किए हैं; इसमें वाईआईएपीएल द्वारा बाद में प्रस्तुत की गई जानकारियों और वाईआईएपीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय मॉडल से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए प्रस्तुत डॉटा के आधार पर, संशोधित सीओडी के लिए कुछ आंकड़ों को फिर से निर्धारित करना भी शामिल है।

तदनुसार, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 06 मार्च के परामर्श पत्र संख्या 07/2025-26 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in प्रतिलिपि secretary@aera.gov.in

हितधारक परामर्श बैठक	23.03.2026
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	07.04.2026
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	17.04.2026

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी/टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

13 प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का हितधारकों के परामर्श के लिए सार

अध्याय 3: *22 जनवरी 2020 से सीओडी तक की अवधि की पूर्व सीओडी की हानियाँ*

3.3.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर के लिए कंपनी की शुरूआत से सीओडी तक की अवधि के दौरान हुए पूर्व-सीओडी के नुकसानों को टैरिफ का हिस्सा न मानना।

3.3.2 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के प्रयोजन से फ्यूल फार्म और कार्गो रियायतों से प्राप्त अग्रिम शुल्क भुगतानों को हवाईअड्डे के सीओडी से प्रारंभ हुआ मानना।

अध्याय: 4 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

4.3.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 32 के अनुसार यात्री, एटीएम और कार्गो यातायात को मानना।

4.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो यातायात) को टूअप करना।

अध्याय : 5 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.7.1 पैरा 5.4.4 के विवरण के अनुसार और आईएमजी मानदंडों के अनुरूप टर्मिनल भवन (टीबीएलआर) के 88:12 (वैमानिक और गैर-वैमानिक) के अनुपात को मानना।

5.7.2 तालिका 91 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वित्तीयन भत्ते को मानना।

5.7.3 तालिका 93 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को मानना।

5.7.4 तालिका 96 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को मानना।

5.7.5 *केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम*, 2017 *के अध्याय* V *के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना (जैसा कि पैरा* 5.3.180 *में विस्तार से बताया गया है)।*

5.7.6 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 5.3.245 के विवरण के अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसकी जांच की जाएगी।

5.7.7 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

5.7.8 तालिका 102 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

5.7.9 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारित करते समय, वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

5.7.10 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 105 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

5.7.11 पैरा 5.3.151 में दिए गए विवरण के अनुसार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) को यह निर्देश देना कि वे हितधारक परामर्श की प्रक्रिया के दौरान, ईवी चार्जिंग वर्क्स और एपीएचओ के उपयोगिता प्रावधानों से हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा अर्जित राजस्व प्रस्तुत करें।

5.7.12 वाईआईएपीएल को यह निदेश देना कि वे पैरा 5.3.171 में दिए गए विवरण के अनुसार हितधारक परामर्श प्रक्रिया के दौरान जीपीयू/पीसीए से प्राप्त राजस्व प्रस्तुत करे।

5.7.13 वाईआईएपीएल को यह निर्देश देना कि वे पैरा 5.3.238 में दिए गए विवरण के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी में शामिल लागतों का एक समेकित वर्ष-वार, विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे और पैरा 5.3.225 में दिए गए विवरण के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के दौरान हुए पूर्व-प्रचालन खर्चों का एक विस्तृत और प्रकृति-वार विवरण प्रदान करे।

5.7.14 वाईआईएपीएल को पैरा 5.6.4 में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तविक पूंजीकरण के आधार पर ब्यौरेवार पूंजीकरण अनुसूचियां प्रस्तुत करने का निर्देश देना, जिसमें परिसंपत्ति-वार वर्गीकरण और वैमानिक/गैर-वैमानिक आवंटन शामिल हो।

5.7.15 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय : 6 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

6.3.1 पैरा 6.2.7 के अनुसार वाईआईएपीएल की प्रस्तुति के अनुसार 10% ऋण की लागत को मानना।

6.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक (या) भारतीय स्टेट बैंक के छ: (6) माह के औसत एमसीएलआर + 150 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को टू-अप करना।

6.3.3 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

6.3.4 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 110 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 12.69% एफआरओआर को मानना।

अध्याय : 7 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

7.3.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 112 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 8: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

8.3.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 161 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

8.3.2 अध्याय 3 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूर्व-सीओडी के नुकसानों को प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च का हिस्सा न मानना।

8.3.3 वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ आदेश जारी करते समय, हितधारकों की टिप्पणियों की जांच करने के बाद, सीएनएस/एटीएम व्यय में 30% उपरि खर्च को शामिल न किए जाने की समीक्षा करना।

8.3.4 प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालक (वाईआईएपीएल) को निर्देश देता है कि वह हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया के दौरान, इस परामर्श पत्र के जारी होने की तारीख तक दिए गए वृद्धि संबंधी प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च अनुबंधों (जिसमें आउटसोर्सिंग की लागत, प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च आदि शामिल हैं) यदि कोई हों, को प्रस्तुत करे।

8.3.5 वाईआईएपीएल द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों को औचित्य एवं कार्य क्षमता की शर्त पर अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय मानना।

अध्याय 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व (एनएआर)

9.3.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा,जेवर के लिए तालिका 208 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व को मानना।

9.3.2 पैरा 9.2.16 में दिए गए तथ्य के अनुरूप आईडब्ल्यूएलजेड से होने वाले राजस्व से 75:25 के वैमानिक और गैर-वैमानिक अनुपात को मानना। शर्त यह है कि अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक राजस्व संरचना के आधार पर इसे टू-अप किया जाए।

9.3.3 पैरा 9.2.117 में दिए गए तथ्य के अनुरूप एमआरओ सेवाओं से होने वाले राजस्व को वैमानिक राजस्व मानना ।

9.3.4 जगह के किरायों से प्राप्त होने वाले राजस्व के वैमानिक सेवाओं के प्रावधान से संबंधित हिस्से को तथा रियल इस्टेट (प्रशासनिक ब्लॉक) से प्राप्त होने वाले राजस्व को, क्रमशः पैरा 9.2.62 और 9.2.135 में दिए गए औचित्य के अनुरूप वैमानिक राजस्व के रूप में मानना।

9.3.5 प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालक (वाईआईएपीएल) को निर्देश देता है कि वे हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया के दौरान, इस परामर्श पत्र के जारी होने की तारीख तक दिए गए वृद्धि संबंधी गैर- वैमानिक राजस्व अनुबंधों (जिनमें जगह के किराए, रियल एस्टेट, प्रशासनिक ब्लॉक, पीटीसी, एमआरओ, मोबिलिटी, सेवाएं और लैंडसाइड प्लाज़ा शामिल हैं) को प्रस्तुत करे।

93.6. प्राधिकरण द्वारा तालिका 208 में प्रस्तावित न्यूनतम सीमा का पालन करने की शर्त पर अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, गैर-वैमानिक राजस्व की समीक्षा करना और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर उसका टू-अप करना।

अध्याय 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

10.3.1 पैरा 10.2.3 तथा 10.2.5 में चर्चा किए गए अनुसार नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ दर कार्ड और अन्य बिल्डिंग ब्लॉकों के अनुसार वैमानिक राजस्व के आधार पर वैमानिक कराधान को मानना।

10.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैमानिक कर की राशि को ट्रू-अप करना।

अध्याय 11 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

11.3.1 वाईआईएपीएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रियायत करार में बताए गए कार्य निष्पादन मानकों का अनुपालन किया जाता है और इसके अतिरिक्त, पैरा 11.2.4 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे कार्य निष्पादन मानकों का भी पालन किया जाए, जो प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रमुख हवाईअड्डों के लिए एक बार लागू किए गए हैं।

अध्याय 12 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

12.3.1 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 211 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।

12.3.2 प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालक (वाईआईएपीएल) को निर्देश देता है कि वह इस परामर्श पत्र के जारी होने के 7 दिन के भीतर वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) प्रस्तुत करे, जिसे पैरा 12.2.7 में दिए गए विवरण के अनुसार हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

14 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

14.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 13–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

14.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

14.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 7 अप्रैल, 2026 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
दूरभाष : 011-24695044-47 फैक्स : 011-24695048

(अध्यक्ष)